कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक – शिविरा/मा/संस्था/सी–6/नियुक्ति–राजनीति विज्ञान/पीएससी–15/2017 दिनांक 16.09.2019 द्वारा भवानी सिंह राजपुत का पदस्थापन राउमावि कालू, लूणकरणसर, बीकानेर किया गया। याचिकार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,.जोधपुर में याचिका संख्या 18708/2019 श्री भवानी सिंह राजपुत व अन्य 09 बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः–शिविरा/माध्य/ संस्था/सी–6/नियुक्ति–रावि/पीएससी–15/2017 दिनांक 11.06.2017 एवं 13.06.2017 के अनुसार नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थियों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 18708/2019 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 19.12.2019 द्वारा मुख्य रूप से आदेशित किया है–

" In view of the submissions made, the present writ petition filed by the petitioners is also disposed of in light of order passed in the case of Om Prakash (Supra)."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के कम में याचिकार्थीगण भवानी सिंह राजपुत व अन्य 09 अभ्यर्थियों में याचिकार्थी भवानी सिंह राजपुत द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 11.06.2017 एवं 13.06.2017 के अनुसार नियुक्ति प्राप्त अभ्यार्थियों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

उपर्युक्त अभ्यर्थियों के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे दायर याचिका संख्या 18708/2019 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 19.12.2019 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। याचिर्थियों का चयन नियमानुसार जारी आरक्षित सूची दिनांक 11.07.2019 आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से प्राप्त अभिस्तावना के अनुसार पदस्थापन किया गया है अतः आरक्षित सूची से चयनित अभ्यर्थियों का मुख्य सूची में चयनित अभ्यार्थियों के समान वरिष्ठता, वेतनवृद्वि अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग तर्कसंगत नही होने के आधार पर प्रस्तुत अभ्यावेदन को खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होंवें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/रावि/नोशनल लाभ/या. 18708/19/2021 दिनांक : 08.04.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01– संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा..............................।
02– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) मा0शि0/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.......................।
03– सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय–हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ
04– संबंधित संस्था प्रधान राउमावि/राबाउमावि ....।
05– संबंधित कार्मिक ....।
06– निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा निदेशक
बीकानेर